

न्यायालय सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

प्रकरण सं. प्र.प/47/2011

दर्ज दिनांक:-03.08.2011

1. चन्द्रवती पता—प्रार्थी

2. शिशपालसिंह पता— बनामअप्रार्थीगण

उपस्थित:

उदयवीरसिंह

प्राथी अभिभाषक

अप्राथी अभिभाषक

निर्णय

दिनांक:-08.05.2018

आज यह पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैम्प/कोर्ट जाटोली रथभान पर पेश। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से प्रार्थिया सायलान के प्रार्थना पत्र के कथन प्रथम दृष्टया प्रमाणित नहीं है। अप्रार्थीगण वाद ग्रस्त आराजी के अभिलिखित खातेदार है। अतः सुविधा का संतुलन व अपूर्णनीय क्षति के बिन्दु भी प्रार्थिया के पक्ष में प्रमाणित नहीं है। प्रार्थना पत्र प्रार्थिया T.I. खारिज किया जाता है। पूर्व में जारी एक पक्षीय T.I. दिनांक 03.08.2011 निरस्त की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दा.द.हो।

(PUSHKAR KUMAR MITTAL)

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर